न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः—61/2024
निर्णय दिनांकः—31.01.2025
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. बुधराज सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली तहसील फागी जिला दूदू

वादी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री पंकज कुमार जैन अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

—:: इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा :—

निर्णय दिनांकः—31.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 2/6, 569, 14, 566, 763, 764, 765, 902, 622, 175, 158/9 की भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसमें वादी की खातेदारी बुद्धसिंह पुत्र रूप सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि को आगे के पैराज में विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है। उक्त वर्णित भूमि वादी को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 616 से प्राप्त हुई है, जिसमें वादी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का नामान्तकरण भरते वक्त वादी का नामबुद्धसिंह अंकित कर दिया गया लेकिन वादी के अन्य राजकीय दस्तावेजात में उसका नाम बुधराज सिंह दर्ज है इस प्रकार वादी के सभी राजकीय दस्तावेजात आधारकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड इत्यादि में उसका नाम बुधराज सिंह पुत्र रूप सिंह अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उसका नाम बुद्ध सिंह पुत्र रूप सिंह दर्ज है जो कि काबिले दुरूस्त है।बादी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का जो नामान्तकरण संख्या 616 भरा गया यह बुद्ध सिंह के नाम से भरा गया था जिसके आधार पर वादी की खातेदारी भी बुद्ध सिंह के नाम से दर्ज हो गई और जो बदस्तूर चली आ रही है जबकि वास्तविकता में वादी के समस्त राजकीय दस्तावेजों राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि सभी में वादी का नाम बुधराज सिंह अंकित है और इसी वास्तविक नाम से वादी के नाम नामान्तकरण भरा जाना

लगातार......................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

चाहिये था, उक्त गलत इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हुआ है जो कि न्यायहित में दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी बुद्ध सिंह के नाम दर्ज होने से वादी उक्त भूमि के बाबत् कोई सरकारी सुविधा उक्त गलत इन्द्राज होने से प्राप्त करने से वंचित हो रहा है, वादी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन कभी सरकारी सुविधा प्राप्त करने हेतू उक्त भूमि की आवश्यकता नही हुई, अभी वादी को अपनी उपरोक्त भूमि को अधिक उपजाउ व उसमें पानी की सुचारू व्यवस्था करने हेतू लोन लेने की आवश्यकता हुई तो वादी ने हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिस पर वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतू वादी ने दिनांक 16.07.2024 को प्रतिवादी के यंहा चाराजोही की तो प्रतिवादी ने वादी से कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, बादी न्यायालय में जाकर चाराजोही करें, जिस पर वादी के द्वारा उपरोक्त याद प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।6. यह कि बादी की उपरोक्त भूमि में गलत इन्द्राज होने से वादी अपनी समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा एवं उक्त गलत इन्द्राज़ होने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह उक्त गलत इन्द्राज को दुरस्त करवाने हेतू वाद इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करें। उक्त बुद्ध सिंह पुत्र रूप सिंह व बुधराज सिंह पुत्र रूप सिंह नाम का ग्राम हथेली में वादी ही एकमात्र व्यक्ति है और उसे दोनों ही नामों से जाना पहचाना जाता है लेकिन चूंकि राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम बुधराज सिंह होने व राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बुद्ध सिंह होने से वादी के भिन्न भिन्न नाम हो गये जिससे वादी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर कोई भी राजकीय सुविधा नहीं ले पा रहा है जिसकी दुरूस्ती हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम हथेली में ही वादी की अन्य खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 161 / 19 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बुधराज सिंह पुत्र रूप सिंह दर्ज है और इसी अनुसार वादी अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात में भी अपना नाम बुद्धसिंह की जगह बुधराज सिंह करवाना चाहता है जो कि न्यायोचित है। वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादी दिनांक 16.07.2024 को वादी के द्वारा इन्द्राज दुरस्ती हेतू कहने पर प्रतिवादी के द्वारा साफ इन्कार कर न्यायालय में जाकर चारा जोही करने पर वाद कारण विरूद्ध कारण विरूद्ध प्रतिवादी उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी जो राज्य सरकार का प्रतिनिधी है जिसें कानूनन धारा 80 सीपीसी के तहत् नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन चूंकि वाद इन्द्राज दूरस्ती है, फिर भी धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्राप्त की है।11. यह कि विवादित भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय में प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

लगातार.........................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह का वास्तविक नाम व सही नाम बुधराज सिंह पुत्र रूपसिंह है तथा दस्तावेजों में वादी का नाम बुधराज सिंह पुत्र रूपसिंह है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम हथेली मे स्थित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 102, 187, 100 में वादी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 01 पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम हथेली की जमाबन्दी संवत 2074–77 (2076 से स्थायी) के खाता सं. 102 खसरा नं. 2/6 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी हथेली दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खाता सं. 187, 100, 310, 101, 190, 185, 103 में वादी का नाम बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी हथेली दर्ज रिकार्ड है। मौका फर्द दिनांक 02.12.2024 के अनुसार ग्राम हथेली के आराजी खसरा नं. 2/6, 569, 14, 566, 763, 764, 765, 902, 622, 175, 158/9 में दर्ज खातेदार बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह का वास्तविक नाम व सही नाम बुधराज सिंह पुत्र रूपसिंह है तथा दस्तावेजों में वादी का नाम बुधराज सिंह रूपसिंह है। उक्त वाद को डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया है कि बुधराजसिंह व बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह निवासी ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर के रहने वाले है ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, 10वीं मार्कशीट व 12वीं मार्कशीट में वादी का नाम बुधराज सिंह पुत्र रूपसिंह दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 2/6, 569, 14, 566, 763, 764, 765, 902, 622, 175, 158/9 की भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॅार्ड मे अंकन बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर बुधराज सिंह पुत्र रूपसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

बुधराज सिंह बनाम तहसीलदार
मु0न0:–61/2024
निर्णय दिनांक:–31.01.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. बुधराज सिंह पुत्र रूप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हथेली तहसील फागी जिला दूदू।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

–:: इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा::–
मु0न0:–61/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री पंकज कुमार जैन हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 2/6, 569, 14, 566, 763, 764, 765, 902, 622, 175, 158/9 की भूमि वाके ग्राम हथेली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन बुद्धसिंह पुत्र रूपसिंह के स्थान पर बुधराज सिंह पुत्र रूपसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निज.........X.........मुबलिग.........X.........बाबत.........X.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X.........फीसदी.........X.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....का अदा करें।

बसुबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा फागी, जयपुर

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर